न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

13/11/24

उनवान:— श्रीकिशन बनाम विक्रम

प्रार्थना पत्र ब्रीच

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।

सायल वकील ने प्रार्थना पत्र ब्रीच मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दिनांक 05.01.2023 को गैरसायलान को ग्राम बौल की आराजी ख0न0 1936 रकवा 0.28 है0 मे निर्माण कार्य नही करने हेतु पाबन्द किया गया है जो आज तक प्रभावी है। गैरसायलान चालाक किस्म के है जो जबरन सायल की आराजी को भय दिखाकर हडपना चाहते है। विवादित आराजी ख0न0 1936 के दक्षिणी मेड की तरफ 30 मीटर लम्बाईमे ख0न0 1937 के पास 6 मीटर चौडाई मे ख0न0 1936 मे अवैध रूप से स्थगन होने के बावजूद कब्जा कर करीब 10 फिट उची पक्की दीवार कर निर्माण किया है। इस प्रकार गैरसालान ने स्थगन के बावजूद भी स्थगन आदेश का उल्लंधन किया है। इसलिये गैरसायलान को 3—3 माह के कारावास से दण्डित किया जाकर अवैध निर्माण को हटाने का आदेश थानाधिकारी को दिया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र ब्रीच मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायल द्वारा जिस प्रकार प्रार्थना पत्र तहरीर किया गया है। वह बिल्कुल गलत है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे सायल के ख0न0 1936 मे गैरसायलान द्वारा कोई निर्माण किया जाना नही बताया गया है। जबकि सायल द्वारा गैरसायलान की आराजी पर कब्जा होना पाया गया है। इस प्रकार सायल ने गैरसायलान को हैरान परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। आराजी ख0न0 1936 के लगवा ख0न0 1937 मे गैरसायलान ने पुख्ता मकान बनाकर चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल चारो तरफ बना रखी है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल मौका रिपोर्ट दिनांक 11.08.2023 अनुसार ख0न0 1936 रकवा 0.28 है0 मे चारो दिशाओ की मेड सही बनी हुई है और मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार रकवा पूर्ण है। जिस पर खातेदार का ही कब्जा काश्त है। लगभग 20 ऐयर पर फसल काश्त है और 8 ऐयर पर गेत/बाडा के रूप मे उपयोग लिया जा रहा है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैरसायलान द्वारा कोई स्थगन का उल्लधंन नही किया गया है। सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे निर्णय दिनांक 13.11.2024 से वर्णित आराजीयात ख0न0 1936 व 1937 मे उभयपक्षकारान को निर्माण नही करने हेतु पाबन्द किया गया है। इसलिये इस प्रार्थना पत्र मे अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जा चुका है, इसलिये उभयपक्ष एक—दूसरे की आरजी मे निर्माण नही करने हेतु पाबन्द है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ब्रीच उभयपक्षकारान को पाबन्द करते हुये निर्णित [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को [illegible] मे लिखाया जाकर सुनाया गया। [illegible] से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:43 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner